FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी / वादीगण बनाम	प्रतिवादी / प्रतिवादीगण
फतेह ग्रेनाईट लिमिटेड जालोर जरिये निर्देशक पुष्पराज बोहरा पुत्र सोहनराजजी बोहरा जाति जैन निवासी शिवाजी नगर जालोर तहसील व जिला जालोर	1 आसुराम पुत्र वीरमाराम जाति विश्नोई निवासी फुलण तहसील समदड़ी जिला बालोतरा वगैरह (9) 10 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी जिला बालोतरा

किस्म मुकदमा......धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नंबरः–140 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.12.2024	वादी फतेह ग्रेनाईट लिमिटेड जरिये निर्देशक पुष्पराज की ओर से वकील श्री पूनमचंद रामदेव ने यह वाद पत्र प्रतिवादी आसुराम वगैरह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 30.12.2024 को पेश हो। (सुरेन्द्र सिंह खंगारोत) सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना	
30.12.24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में उभय पक्ष के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। अतः वे अब वाद पत्र की कार्यवाही नहीं रखना चाहते है। इसलिए नया वाद प्रस्तुत करने के हक को सुरक्षित रखते हुए वाद जरिये विड्रो खारिज फरमावे। हमने वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] वादी का वाद जरिये विड्रो खारिज [illegible] है वादी नया वाद [illegible] के लिए स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना	Adv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.02.07 18:00:22 IST
Reason: SelfAttested